HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14347/2024

Kuldeep Meena S/o Raghuveer Prasad Meena, Aged About 29 Years, R/o Gudda, Police Station Udaipurwati, District Jhunjhunu (Raj.) At Present Gurjar Colony, Ward No. 19, Chhawani, Neem-Ka-Thana, District Neem-Ka-Thana (Raj.)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ashvin Garg, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Jaiprakash Tiwari, PP Ms. Bhavana Choudhary, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

18/12/2024

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–482 (438 दण्ड प्रक्रिया संहिता) के तहत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना–नीम का थाना में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–215/2024 अपराध अंतर्गत धारा 307, 143, 120बी भारतीय दण्ड संहिता तथा 27 आयुध अधिनियम में गिरफ्तारी की आशंका के फलस्वरूप अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त निर्दोष है, परिवादी द्वारा गलतफहमी के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करायी

गयी, इस तथ्य को कालान्तर में शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्वीकार किया है, घटना में किसी के कोई चोट कारित नहीं हुई है। न्यायालय द्वारा अनुसंधान में सहयोग किये जाने का आदेश दिया था, जिसकी पालना में अनुसंधान में उपस्थित हो चुका है, अब अभियुक्त से अभिरक्षात्मक अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है, अकारण गिरफ्तार किया गया तो उसके विधिक अधिकारों का हनन होगा, अतः प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता परिवादी का निवेदन है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट अवश्य दर्ज करायी थी, लेकिन वह संदेह के आधार पर दर्ज करायी गयी थी, अभियुक्त घटना में लिप्त नहीं रहा है तथा अभियुक्त को अग्रिम जमानत सुविधा दिये जाने पर अनापत्ति व्यक्त की।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वर्तमान मामले में परिवादी द्वारा यह रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वह अपने गंतव्य स्थान पर जा रहा था तो दूसरे वाहन में सवार व्यक्तियों ने उस पर फायर किया जिसमें अभियुक्त को नामजद किया है। घटना में किसी के कोई चोट कारित नहीं हुई है।

अतः प्रस्तुत तर्को, मामले के तथ्यों को देखते हुए, परिवादी पक्ष की अनापत्ति को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी **कुलदीप मीणा पुत्र रघुवीर प्रसाद मीणा** की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा संबंधित अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके यहॉ पंजीबद्ध उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी को गिरफ्तार किये जाने की सूरत में यदि प्रार्थी उनके संतोषप्रद एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये राशि की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर आजाद कर दिया जाए :

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जानेवाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षः अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /455